गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत मा0 मंत्री जी, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न "स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड" की 12वीं बैठक दिनांक

04 दिसम्बर 2018 का कार्यवृत्त।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत गठित "स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड" की 12 वीं बैठक दिनांक 04 दिसम्बर, 2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित पर्यटन भवन के सभाकक्ष में प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, मा0 मंत्री जी, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत रही:–

(1) **श्री पंकज कुमार,**
सचिव, — **उपाध्यक्ष**
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) **श्री विपिन कुमार,**
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, — **सदस्य**
न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) **श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी,**
उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा, — **सदस्य**
उत्तर प्रदेश शासन।

(4) **डा0 नीना गुप्ता,**
महानिदेशक, परिवार कल्याण, — **सदस्य**
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(5) **डा0 बद्री विशाल,**
निदेशक, परिवार कल्याण, — **सदस्य सचिव**
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(6) **डा0 मंजू सिवाच,**
मा0 सदस्य, विधान सभा, — **सदस्य**
उत्तर प्रदेश शासन।

(7) **डा0 अजय घई, संयुक्त निदेशक,**
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(8) **डा0 वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक,**
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(9) **डा0 संजय कुमार शैवाल, संयुक्त निदेशक,**
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(10) डा0 पी0के0 श्रीवास्तव,
रेडियोलॉजिस्ट, लखनऊ। – सदस्य

(11) प्रो0 यशोधरा प्रदीप,
विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, – सदस्य
डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ
मेडिकल साईन्सेज, लखनऊ।

(12) प्रो0 सुनील कुमार,
विभागाध्यक्ष, रेडियो डायग्नोसिस विभाग, – सदस्य
के0जी0एम0यू0, लखनऊ।

(13) डा0 दीप्ति अग्रवाल,
ऐसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, – सदस्य
बाल रोग विभाग, डा0 राम मनोहर लोहिया
इन्सटीट्यूट ऑफ मेडिकल साईन्सेज, लखनऊ।

(14) श्रीमती राज लक्ष्मी कक्कड़,
मुख्य कार्यकारी, लक्ष्मी संस्था, – सदस्य
निराला नगर, लखनऊ।

(15) डा0 पंकज सक्सेना,
उप महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन,
एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(16) डा0 वीरन्द्र भारती,
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद आगरा।

सर्वप्रथम श्री पंकज कुमार, सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का स्वागत् किया गया। तत्पश्चात् बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों/सदस्यों के परिचय के आदान–प्रदान के साथ मा0 मंत्री जी की अनुमति से निम्नवत् एजेण्डा बिन्दुओं पर बैठक सम्पन्न हुई।

एजेण्डा मद संख्या–01

(गत बैठक दिनांक 16 फरवरी 2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुपालन आख्या)

सर्वप्रथम बोर्ड द्वारा गत् बैठक दिनांक 16 फरवरी 2018 की कार्यवाही के अवलोकनोपरान्त् बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी। तदोपरान्त् डा0 अजय घई, संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा गत् बैठक दिनांक 16 फरवरी 2018 में दिये गये निर्देशों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर बोर्ड द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर निम्नवत् सुझाव/निर्देश दिये गयेः–

(1) मासिक रिपोर्ट उपलब्ध न कराने वाले केन्द्रों के विरुद्ध जनपद स्तर पर की गयी कार्यवाही का जनपदवार विवरण पृथक से राज्य स्तर पर मंगाया जाये।

(कार्यवाहीः–महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश)

(2) गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउण्ड परीक्षणार्थ आई0डी0 हेतु आधार कार्ड को प्राथमिकता वाले बिन्दु पर डा0 पी0के0 श्रीवास्तव, रेडियोलॉजिस्ट, लखनऊ/सदस्य

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित एस0एल0पी0 (सी0) संख्या 16657–16659/2016 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम इण्डियन रेडियोलॉजिकल एण्ड इमेजिंग एसोसिएशन व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 मार्च 2018 को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हुए डा0 अजय घई द्वारा बोर्ड को जानकारी दी गयी कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु प्रदेश में सक्षमता आधारित परीक्षा सम्पन्न करवाया जाना अनिवार्य है, जिस पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि चिकित्सा शिक्षा विभाग यथाशीघ्र यह परीक्षा सम्पन्न करवाये।

(कार्यवाहीः–चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश)

एजेण्डा मद संख्या–03

(प्रदेश में अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति)

डा0 अजय घई, संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रदेश में अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रगति विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रदेश के लिंग अनुपात (जन्म पर) में वृद्धि परिलक्षित हो रही है। एच0एम0आई0एस0 के आँकड़ों के अनुसार सितम्बर 2018 में प्रदेश का लिंग अनुपात (जन्म पर) 913 हो गया है। प्रगति के विवरण से अवगत होते हुए बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

(1) जिन जनपदों के लिंग अनुपात में कमी आयी है, के समुचित प्राधिकारियों को इस हेतु पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाहीः–महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश)

(2) निरीक्षणों की कम संख्या पर असन्तोष व्यक्त करते हुए बोर्ड द्वारा व्यक्त किया गया कि निरीक्षणों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है तथा निर्देश दिये गये कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न होने वाली वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के एजेण्डे में इस मुद्दे को भी सम्मिलित कराया जाये।

(कार्यवाहीः–प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन)

(3) जिन जनपदों के लिंग अनुपात में कमी आयी है, के समुचित प्राधिकारियों को इस हेतु पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाहीः–महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश)

(4) डा0 अजय घई द्वारा बोर्ड की जानकारी में लाया गया कि प्रदेश के कई जनपदों में अधिनियम के अन्तर्गत गठित सलाहकार समिति की बैठक भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के साथ सम्पन्न होती है, जिस कारण जनपदीय समुचित प्राधिकारी/जिला–मजिस्ट्रेट के स्तर पर कतिपय मामलों में अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, जिस पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि जनपदीय सलाहकार समिति की बैठक पृथक से किये जाने विषयक निर्देश प्रदेश के समस्त जनपदीय समुचित प्राधिकारियों को राज्य स्तर से प्रेषित किये जायें।

(कार्यवाहीः–महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश)

(5) श्रीमती राजलक्ष्मी कक्कड़, सदस्या द्वारा कहा गया कि पूर्व में निरीक्षण गतिविधियों में गैर सरकारी संगठनों को भी सम्मिलित किया जाता था परन्तु विगत् कुछ समय से गैर सरकारी संगठनों को निरीक्षण गतिविधियों में सम्मिलित नही किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदया/मा0 मंत्री जी द्वारा पूछे जाने पर डा0 अजय घई द्वारा मौखिक रूप से जानकारी दी गयी कि इसी बोर्ड की पूर्व बैठक में निर्देशों के अनुपालन में ही गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को निरीक्षण गतिविधियों में सम्मिलित नही किया जा रहा है। मा0 मंत्री जी द्वारा उक्त से अवगत होते हुए निर्देशित किया गया कि प्रकरण पर अधिनियम के प्राविधानों के दृष्टिगत् पुनः अध्ययन कर गैर सरकारी संगठनों के

महोदय द्वारा व्यक्त किया गया कि इस प्रकार के प्राविधान का उल्लेख अधिनियम के अन्तर्गत कहीं भी उल्लिखित नही है। डा0 मंजू सिवाच, मा0 विधायक, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कहा गया कि कतिपय केन्द्रों द्वारा विवाह पंजीकरण का प्रमाण पत्र की भी अपेक्षा की जा रही है, जोकि तर्कसंगत नही है। बोर्ड द्वारा सदस्यों के सुझाव लेते हुए निर्देश दिये गये कि जनपदीय समुचित प्राधिकारियों के माध्यम से केन्द्र संचालकों को स्पष्ट कर दिया जाये कि विवाह पंजीकरण का प्रमाण पत्र मरीजों से न माँगा जाये एवं आधार कार्ड वाले मुद्दे पर स्पष्ट कर दिया जाये कि आधार कार्ड न होने की दशा में गर्भवती महिला की किसी भी फोटो आई0डी0 पर परीक्षण किया जाये, यदि महिला के पास कोई भी फोटो आई0डी0 उपलब्ध न हो तो उसके पति के फोटो आई0डी0 पर अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के फोटो आई0डी0 को लेकर भी अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण किया जा सकता है। मात्र आई0डी0 के आधार पर मरीज को वापस न लौटाया जाये।

(कार्यवाहीः–महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश)

(3) सील की गयी मशीनों के फॉलोअप वाले प्रकरण मा0 मंत्री जी द्वारा जानकारी चाही गयी प्रत्येक केन्द्र का निरीक्षण कितने समयान्तराल पर होना चाहिए, जिस पर डा0 अजय घई द्वारा जानकारी दी गयी कि अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत केन्द्र का 03 माह में एक बार निरीक्षण किये जाना है। मा0 मंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये कि निरीक्षण के दौरान ही सील की गयी मशीनों का फालोअप सुनिश्चित किया जाये। मा0 मंत्री जी द्वारा निरीक्षणों की संख्या के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गयी, जिस पर उनके द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया एवं निर्देश दिये गये कि निरीक्षण की दृष्टि से प्रदेश के सबसे खराब 05 जनपदों के जनपदीय समुचित प्राधिकारियों को शासन स्तर से निर्देश प्रेषित किये जायें। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त जनपदीय समुचित प्राधिकारियों को भी शासन स्तर से निर्देश प्रेषित किये जायें कि प्रत्येक पंजीकृत इकाई का वर्ष में कम से कम 03 बार निरीक्षण प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाहीः–प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन/महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश)

(4) पुरानी/अक्रियाशील/निष्प्रोज्य योग्य अल्ट्रासाउण्ड मशीनों को सील कर केन्द्र स्वामियों की अभिरक्षा में सुपुर्द किये जाने वाले प्रकरण पर डा0 पी0के0 श्रीवास्तव, सदस्य महोदय द्वारा जानकारी चाही गयी कि निष्प्रोज्य मशीनों को कब तक सील रखा जाना है तथा उनका अन्तिम निस्तारण किस प्रकार से होना है, जिस पर बोर्ड के सदस्यों से विचार–विमर्श के साथ मा0 मंत्री जी द्वारा व्यक्त किया गया कि अग्रिम आदेशों तक निष्प्रोज्य योग्य मशीनें सील ही रखी जायें।

(5) सक्षमता आधारित परीक्षा वाले प्रकरण में बोर्ड को वस्तु स्थिति से अवगत कराने पर निर्देश दिये गये कि प्रयास किये जायें कि इस प्रकरण का निस्तारण शीघ्र हो जाये।

(कार्यवाहीः–चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश)

(6) मैपिंग वाले प्रकरण पर श्री पंकज कुमार, सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जानकारी दी गयी कि पंजीकृत इकाईयों का विवरण पूर्व से वेबसाईट पर उपलब्ध है, अतः इन इकाईयों/मशीनों को जी0पी0एस0 इनेबल कराते हुए इनकी जियो टैगिंग की जानी चाहिए, जिस पर बोर्ड द्वारा शासन को विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाहीः–महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश)

एजेण्डा मद संख्या–02

(मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित एस0एल0पी0 (सी0) संख्या 16657–16659 /2016 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम इण्डियन रेडियोलॉजिकल एण्ड इमेजिंग एसोसिएशन व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 मार्च 2018 के सम्बन्ध में)

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–9
संख्या–02 / पांच–9–2019–6(74) / 94टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2019

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत मा0 मंत्री जी, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न "स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड" की 12वीं बैठक दिनांक 04.12.2018 के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, उ0प्र0।
(2) निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग उ0प्र0 शासन।
(3) मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड के समस्त सदस्य।
(6) अनु सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
(7) निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शशि कान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

प्रतिनिधियों को निरीक्षण गतिविधियों में सम्मिलित किये जाने का सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाहीः–महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश)

(6) अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन के कारण मा0 न्यायालय में योजित वादों की पैरवी के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि जनपदीय अनुश्रवण समिति की बैठक के एजेण्डे में इस मुद्दे को भी सम्मिलित कराये जाने हेतु राज्य स्तर से प्रदेश के समस्त जनपदीय समुचित प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाये।

(कार्यवाहीः–महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश)

एजेण्डा मद संख्या–04

(डिक्वॉय ऑपरेशन संचालित करने हेतु दिनांक 01 जुलाई 2017 से प्रारम्भ "मुखबिर योजना" के क्रियान्वयन में आ रहे गतिरोध)

डिक्वॉय ऑपरेशन संचालित करने हेतु दिनांक 01 जुलाई 2017 से प्रारम्भ "मुखबिर योजना" के क्रियान्वयन में आ रहे गतिरोधों के सम्बन्ध में बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित डा0 वीरेन्द्र भारती, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि सबसे अधिक कठिनाई मिथ्या ग्राहक को ढूंढने व उसे इस हेतु तैयार करने में आती है तथा मिथ्या ग्राहक मा0 न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु भी नही जाते हैं। इसके अतिरिक्त थाने में प्राथमिकी के समय भी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार परिवाद दाखिल किये जाने का प्राविधान है।

डा0 अजय घई द्वारा गतिरोधों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि डिक्वॉय ऑपरेशन किये जाने हेतु सर्वप्रथम कुछ धनराशि की नगद आवश्यकता होती है, जिसकी व्यवस्था में कठिनाई होती है।

मा0 मंत्री जी द्वारा व्यक्त किया गया कि हरियाणा एवं राजस्थान राज्य अधिक संख्या में डिक्वॉय ऑपरेशन संचालित कर रहे हैं, अतः उनके प्रतिनिधियों को बोर्ड की आगामी बैठक के दौरान आमंत्रित किया जाये ताकि उनके राज्य में संचालित मुखबिर योजना के विषय में जानकारी प्राप्त कर उनकी भाँति उत्तर प्रदेश में भी अधिक संख्या में डिक्वॉय ऑपरेशनों का सम्पादन सम्भव हो सके।

(कार्यवाही–सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

एजेण्डा मद संख्या–05

(अन्य बिन्दु)

अध्यक्ष महोदया/मा0 मंत्री जी की अनुमति से डा0 मंजू सिवाच द्वारा अवगत कराया गया कि अल्ट्रासाउण्ड मशीनों में ट्रैकर डिवाईस की स्थापना के कारण मशीनों के वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध में समस्या का सामना मशीनों के स्वामियों/केन्द्र संचालकों को करना पड़ रहा है क्योंकि कम्पनियाँ मशीनों के साथ–साथ कोई डिवाईस लगाने से वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध करने से मना करती हैं। इस प्रकार डा0 पी0के0 श्रीवास्तव द्वारा कहा गया कि पूर्व में कोल्हापुर (महाराष्ट्र) की मशीनों में ट्रैकर डिवाईस की स्थापना के उपरान्त इस विषय पर एक विस्तृत अध्ययन किया जा चुका है, जिसके अनुसार इस डिवाईस को अनुपयोगी पाया गया है।

श्रीमती राजलक्ष्मी कक्कड़ द्वारा एम0टी0पी0 अधिनियम, 1971 के क्रियान्वयन स्तर का भी अनुश्रवण किये जाने पर बल दिया गया तदोपरान्त् एम0टी0पी0 अधिनियम, 1971 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(पंकज कुमार)
सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–9
संख्या–02 / पांच–9–2019–6(74) / 94टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2019

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत मा0 मंत्री जी, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न "स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड" की 12वीं बैठक दिनांक 04.12.2018 के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, उ0प्र0।
(2) निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग उ0प्र0 शासन।
(3) मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड के समस्त सदस्य।
(6) अनु सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
(7) निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शशि कान्त शुक्ल)
अनु सचिव।